अपील सूचना अधिकार संख्या 58/2019 (RCMS 2019/00165) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

16.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 16.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 03 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जावे एवं हर्जाना प्रार्थी को दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2019 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकाारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 04.06.2019 आपके कार्यालय में पहुचने की तारीख व प्राप्ति की दिनांक व पत्र प्राप्ति का क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जिस दिवस आपके कार्यालय में जमा करवाया है, उस दिवस की सूचना व जमा करवाने के दस्तावेज/कार्यालय रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. स्टाम्प विक्रय रजिटर जमा कराने की स्थिति में नया रजिस्टर जिस नियम की जिस अधिनियम के अन्तर्गत जिस दिवस, जिस अधिकारी के आदेश से जिस कर्मकार द्वारा जारी किया गया उस दिवस अधिनियम व अधिकारी का व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक स्टाम्प शाखा/2019/85 दिनांक 14.08.2019 के संलग्न नोडल अधिकारी,सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगागनर के पत्रांक 674 दिनांक 02.08.2019 की प्रति संलग्न कर भिजवाई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 01.07.2019 द्वारा गई सूचना कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित थी। जो कि उनके पत्रांक 79 दिनांक 29.07.2019 से प्राप्त हो चुकी है। उक्त सूचना मूल ही पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवाई जा रही है।

-sd-
(ओ.पी.जैन)
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में सूचना का अधिकार के तहत चाही गई सूचना निम्नानुसार सादर प्रेषित है:

क्र.सं.	बिन्दु	जवाब
1	प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 04.06.2019 आपके कार्यालय में पहुचने की तारीख व प्राप्ति की दिनांक व पत्र प्राप्ति का क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2019 इस कार्यालय को दिनांक 04.06.2019 को प्राप्त हुआ है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2	श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जिस दिवस आपके कार्यालय में जमा करवाया है, उस दिवस की सूचना व जमा करवाने के दस्तावेज/ कार्यालय रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति।	इस तरह का कोई रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
3	स्टाम्प विक्रय रजिटर जमा कराने की स्थिति में नया रजिस्टर जिस नियम की जिस अधिनियम के अन्तर्गत जिस दिवस, जिस अधिकारी के आदेश से जिस कर्मकार द्वारा जारी किया गया उस दिवस अधिनियम व अधिकारी का व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।	इस तरह का कोई रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, **उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर